अनुलग्नक—ख—1

भारत निर्वाचन आयोग

बिहार विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(4) के अंतर्गत नोटिस

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम, 31(4) के अनुसरण में **दरभंगा** शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने **दिनांक—01.10.2019** के अपने नोटिस के द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित सम्बन्धित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की थी कि वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के साथ संलग्न रूप में प्रकाशित और **हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर** समाचार पत्रों में **दिनांक—01.10.2019** के संस्करण में उक्त नोटिस की दूसरी अनुसूची में प्रकाशित फार्म 19 में अपना आवेदन **06.11.2019** तक या उससे पहले उनके कार्यालय में भेज दे या उन्हें सुपुर्द कर दें।

उपर्युक्त सभी व्यक्ति फार्म 19 में अपने आवेदन **06.11.2019** तक या उससे पहले जमा करवा दें, यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

उक्त विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी, **बिहार** की शासकीय वेबसाईट **www.ceobihar.in** पर भी उपलब्ध है।

(हस्ताक्षर) 27/10/19
आयुक्त,
दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
—सह—
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी,
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।